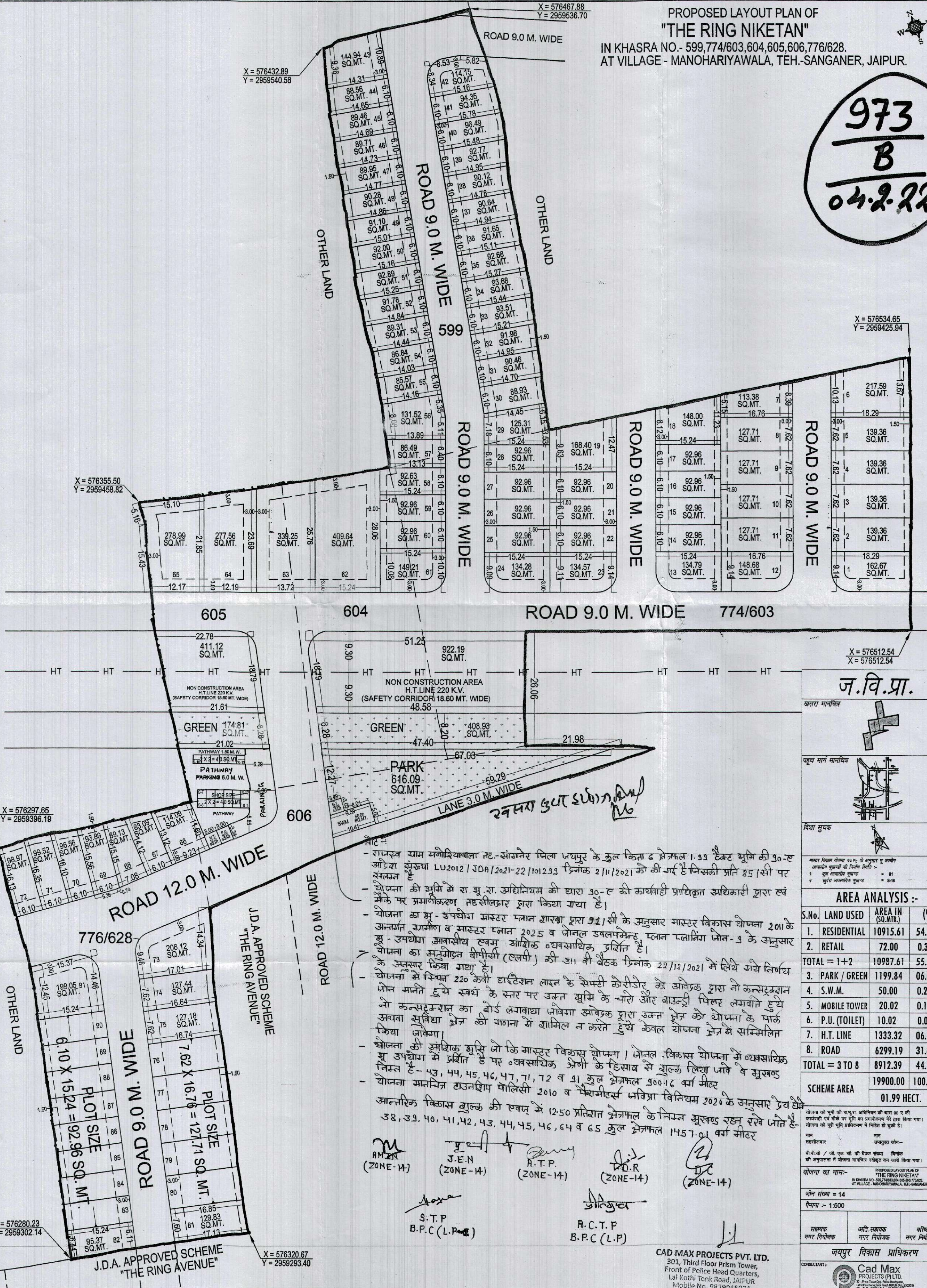


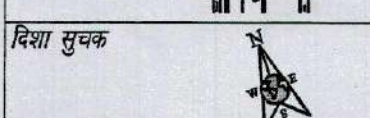
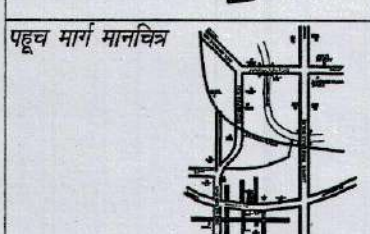
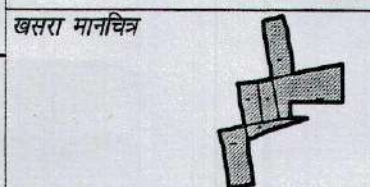
PROPOSED LAYOUT PLAN OF "THE RING NIKETAN"

IN KHASRA NO.- 599,774/603,604,605,606,776/628.
AT VILLAGE - MANOHARIYAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR.

973
B
04.2.22



ज.वि.प्रा.



मास्टर विकास योजना 2012 के अनुसार 1:1000 स्केल पर
अनुमति प्राप्त की गयी है।
1. कुल क्षेत्रफल 19900.00 वर्ग मीटर
2. कुल निवास क्षेत्रफल 1457.01 वर्ग मीटर

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	10915.61	54.85%
2.	RETAIL	72.00	0.36%
TOTAL = 1+2		10987.61	55.21%
3.	PARK / GREEN	1199.84	6.03%
4.	S.W.M.	50.00	0.25%
5.	MOBILE TOWER	20.02	0.10%
6.	P.U. (TOILET)	10.02	0.05%
7.	H.T. LINE	1333.32	6.70%
8.	ROAD	6299.19	31.66%
TOTAL = 3 TO 8		8912.39	44.79%
SCHEME AREA		19900.00	100.00%
		01.99 HECT.	

योजना की पूरी की जाने वाली 80 ए की
कार्यवाही एवं नोड पर मुद्रा का प्रमाणित रूप में प्रमाणित किया गया।
योजना की पूरी की जाने वाली 80 ए की कार्यवाही एवं नोड पर मुद्रा का प्रमाणित रूप में प्रमाणित किया गया।

योजना का नाम:-
PROPOSED LAYOUT PLAN OF
"THE RING NIKETAN"
IN KHASRA NO.- 599,774/603,604,605,606,776/628
AT VILLAGE - MANOHARIYAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

जोन संख्या = 14
पैमाना :- 1:500

सहयक नगर नियोजक
अति.सहयक नगर नियोजक
वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण
CONSULTANT:-
Cad Max
PROJECTS (P) LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031

नोट :-
- राजस्व ग्राम मनोरियावाला तह.-संगानेर जिला जयपुर के कुल किता 6 अंशफल 1.99 हेक्टर भूमि की 30-ए
आदेश संख्या LU2012/JDA/2021-22/101293 दिनांक 2/11/2021 को की गई है जिसकी प्रति 85/सी पर
संलग्न है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 30-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं
उसके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शारदा द्वारा 31/सी के अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के
अनुमति प्राप्त मास्टर प्लान 2025 व जेनरल डवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-3 के अनुसार
भू-उपयोग आवासीय एवं औद्योगिक व्यवसायिक उद्देशित है।
- योजना का अनुमति वीपीसी (एलपी) की 311 वी वेंचर दिनांक 22/12/2021 में लिये गये निर्णय
के अनुसार किया गया है।
- योजना में स्थित 220 केवी हाईटेशन लाइन के संपत्ती कोरीडोर को आवेक द्वारा नो कन्स्ट्रक्शन
जोन मानते हुये स्वयं के स्तर पर उक्त भूमि के चारो ओर बाउन्ड्री पिलर लगवते हुये
नो कन्स्ट्रक्शन का बोर्ड लगावाया जावेगा आवेक द्वारा उक्त क्षेत्र को योजना के मार्क
अथवा सुविधा क्षेत्र की गणना में शामिल न करते हुये केवल योजना क्षेत्र में सम्मिलित
किया जावेगा।
- योजना की आंशिक भूमि जो कि मास्टर विकास योजना / जेनरल विकास योजना में व्यवसायिक
भू-उपयोग में उद्देशित है पर व्यवसायिक क्षेत्र के हिसाब से शुल्क लिया जावे व मुख्य
निम्न है- 43, 44, 45, 46, 47, 71, 72 व 31 कुल क्षेत्रफल 300.16 वर्ग मीटर
- योजना मानचित्र एडमिनिस्ट्रेशन पोलिसी 2010 व मैपमीटर्स एक्टिवा विनियम 2020 के अनुसार प्रेय क्षेत्र
आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिवर्त क्षेत्रफल के निम्न मुख्य रकम रहे जोते है-
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 64 व 65 कुल क्षेत्रफल 1457.01 वर्ग मीटर

AM (ZONE-14)
J.E.N (ZONE-14)
A.T.P. (ZONE-14)
R.C.T.P. (ZONE-14)
S.T.P. (ZONE-14)
B.P.C (L.P.)
R.C.T.P. (ZONE-14)
B.P.C (L.P.)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031